	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 11/10	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.21	[illegible] 15.11.22 को पेश है।	
	उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)	
15.11.22	वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पलायन के कारण समझौता हो गया है तथा वे प्रकरण के आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत की गयी। वादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर नोटिस के खारिज किया जाता है। आदेश शुद्ध लिखा है पत्रावली फैसल शुदा है। कार्य स्थगित के कर दी व दाखिल दफ्तर है।	Next Mes by
	उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:39:06 IST
Reason: SelfAttested